



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं/Type Approval No.915

**मद/FOR ITEM: दो तरह के रबर सीलिंग रिंग्स
RUBBER SEALING RINGS-(TWO TYPES)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स सुजन इंडस्ट्रीस, # 77, मिस्ट्री इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स, एम.आई.डी.सी क्रॉस रोड-ए, अंधेरी(पू), मुंबई-400 093 द्वारा विकसित तथा उत्पादित नैट्रिल बेस रबर काम्पाउंड एस.ई.एन-1001, (टी.एस.सं 532) से बना हुआ सीलिंग रिंग्स पार्ट सं. ए) 2609सी52, बी) 1028-030 रशियन मूल के बदले में मिग वायुयान के आर11एफ/आर-25 सीरीस इंजन्स के फ्यूयल अक्सेसरीस में काम आते हैं उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इन्हे आर.सी.एम.ए (कोरापुट), सेमिलाक, सुनाबेडा-763002 के समन्वय से टेस्ट शेड्यूल संख्या टी.एस/448-2000 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न "वर्गरिकार्ड" की विवरण/ परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

This is to certify that the Sealing Rings Pt No: a) 2609C52 b) 1028-030, fabricated out of Nitrile Base Rubber Compound SEN - 1001,(TA No.532) developed and manufactured by M/s Sujan Industries, # 77 Mistry Industrial Complex, MIDC Cross Road-A, Andheri (E), Mumbai-400 093, are hereby approved for production for use in fuel accessories of R11F/R-25 series engines of Mig aircrafts in lieu of Russian origin.. These have been tested to test schedule No.TS/448-2000, in co-ordination with RCMA (Koraput), CEMILAC, Sunabeda-763002. These met the requirements of specification /tests, as detailed in the type record enclosed as Appendix "A".

2. उपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीस नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये ।

The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है ।

This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

4. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2003 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(कोरापुट), सुनाबेडा, कोरापुट से अनुरोध करना होगा ।

This Type Approval is valid up to 31st December 2003 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Kpt) Sunabeda, Koraput, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी ।

Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification, (CEMILAC) Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record enclosed are effected.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' / Appendix 'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/F-134/टी.ए/TA- 915

दिनांक/Date : 11th May 2001

फेक्स सं/Fax No : 080-5230856

(के.नागराज/K.NAGARAJ)

मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/
Chief Executive(Airworthiness)

01/05 61/05 2/5